वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गन भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव–नियम–41

1. **प्रोजेक्ट का विवरण :–सौंग 1 थानों रेंज, सौंग 2 थानो रेंज, सौंग 3 लच्छीवाला रेंज, जाखन 1 थानो रेंज, जाखन 2 बड़कोट रेंज में उपखनिज चुगान**

(क) प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण तथा प्रोजेक्ट हेतु वन भूमि की आवश्यकता :–

बरसात में पहाड़ी नदी से जो बजरी, बोल्डर, रेता/मोरम आदि उपखनिज बहकर आता है, वह नदी की तलहटी में जमा हो जता है, जिसकी निकासी न होने के कारण नदी की तलहटी धीरे–धीरे ऊपर आ जाती है और नदी की धारा का रूख परिवर्तित हो जाता है तथा आस–पास स्थित आबादी को खतरा उत्पन्न होने की आशंका होती है। अतः नदी के किनारे के भू–रक्षण एवं जल प्रवाह को नियंत्रित रखने की दिशा में नदी के तलहटी में जमा उपखनिजों की निकासी किया जाना प्राविधिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक है।

सौंग 1, 2, 3, एवं जाखन 1, 2 नदियों में प्रत्येक वर्ष बरसात में भारी मात्रा में उपखनिज एकत्रित होता है। यदि इस क्षेत्र से उपखनिज की निकासी नहीं की जाती है तो क्षेत्र के तलहटी में निरन्तर उपखनिज जमा हो जाने के कारण नदी की धारा का रूख बदलने और नदी के किनारे में स्थित आबादी के क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावि होने की आशंका रहेगी। सम्भवतः इसी कारण वर्षों से निरन्तर इस क्षेत्र से उपखनिज की निकासी समय–समय पर प्रभावी नियम एवं शासनादेशों के अन्तर्गत किया जाता रहा है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के पश्चात् इस क्षेत्र से उपखनिज चुगान के लिए भारत सरकार का अनुमोदन 10 वर्ष की अवधि हेतु प्राप्त हुआ है जिसकी अवधि मई 2019 में समाप्त हो रही है। राज्य सरकार ने अपनी खनिज नीति के तहत आशय पत्र दिया है, अतः आगामी 10 वर्षों की अवधि विस्तारित हेतु अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की श्रेणी निर्माण कार्य में बहुत ही उपयुक्त है। उपखनिज का चुगान परिवहन तथा इस आधारित उद्योगों (क्रेशर आदि) में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हजारों लोग कार्यरत है और करीब 28000 ग्रामीण/श्रमिकों को उक्त चुगान कार्यों से प्रति वर्ष माह अक्टूबर से जून तक रोजगार प्राप्त हो सकता है और इस क्षेत्र में रॉयल्टी, वन विभाग का अभिवहन शुल्क, जी0एस0टी0, आयकर आदि के मद में प्रत्यक्ष में शासन को लगभग रू0– 28.59 करोड़ रूपये की राजस्व प्रति वर्ष प्राप्त हो सकती है। क्षेत्र के विकास के लिए यह उद्योग एक महत्वपूर्ण आधार है।

उपखनिज की निकासी केवल चुगान द्वारा ही की जायेगी। अतः वन सम्पदा व अन्य सार्वजनिक या किसी निजी सम्पत्ति को क्षति होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वन सम्पदा सार्वजनिक निर्माण एवं पर्यावरण के हितों को दृष्टिगत रखते हुए चुगान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

- उपखनिज प्राकृतिक कारणों से नदी की तलहटी में एकत्रित होता है जो कि आरक्षित वन क्षेत्र में है। अतः इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर चुगान कार्य कराने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

- वनों का घनत्व – शून्य है
- प्रजाजिवार व्यासवार वृक्षों का विवरण – शून्य है
- भू–क्षरण से खतरा – यह परियोजना वन भूमि में भू–क्षरण को नियन्त्रित करने के लिये बनाया जा रहा है।
- क्या यह क्षेत्र नैशनल पार्क, वन्य जन्तु विहार आदि का भाग तो नहीं है – नहीं
- प्रस्तावित वन भूमि का मदवार विवरण

2. कृषि उपज – रिक्त
3. सड़कें – –
4. मैदान – रिक्त
5. बैरन (रोखड) – सौंग 1 थानो रेंज – 202.00 है0, सौंग 2 थानो रेंज – 136.85 है0, सौंग 3 लच्छीवाला रेंज– 93.50 है0, जाखन 1 थानो रेंज – 99.95 है0 जाखन 2 बड़कोट रेंज– 96.50 है0, कुल 628.80 है0

- क्या इसमें वनस्पति अथवा जीव जन्तु की ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती है जिनके विनाश का संकट हो – नहीं
- क्या यह क्षेत्र वन्य जन्तुओं के प्रजनन या इमीग्रेशन या उनके पुनरोत्पादन का स्थान तो नहीं है – नहीं

(ख) खनन पट्टे सम्बन्धी प्रस्ताव का विवरण :–

- कुल खनन पट्टा क्षेत्र में वन भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 628.80 है0 (लेकिन वास्तविक चुगान कार्य नदी के मध्य भाग में केवल 314.40 है0, में ही होगा)
- खनन पट्टा कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित है– उत्तरांचल उपखजिन परिहार नियमावली 2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत समय–समय निर्गत शासनादेशों के द्वारा पट्टे की अवधि एवं प्रकार निर्धारित किये जाते है। उपखनिज के चुगान के लिये 10 वर्ष की अवधि विस्तारण हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।
- खनिजवार खनिज का भण्डार–क्षेत्र में रेता, बजरी, बोल्डर एवं दड़ा/आर0बी0एम0 प्रतिवर्ष बरसात में एकत्र होता है और चुगान हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं प्राप्त सूचना के अनुसार 50 बजरी 50 प्रतिशत बोल्डर उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र में 50 प्रतिशत क्षेत्र में चुगान प्रस्तावित है, जिसमें केवल 1.5 मी0 गहराई तक प्रति वर्ष 18.93

(वन क्षेत्र का विवरण :–

क्र. सं0	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है0)
1	देहरादून	देहरादून वन प्रभाग	थानों रेंज के अन्तर्गत सौंग 1 नदी	202.00 है0
2			थानों रेंज के अन्तर्गत सौंग 1 नदी	136.85 है0
3			लच्छीवाला रेंज के अन्तर्गत सौंग 3 नदी	93.50 है
4			थानों रेंज के अन्तर्गत जाखन 1 नदी	99.95 है0
5			बड़कोट रेंज के अन्तर्गत जाखन 2 नदी	96.50 है0
			योग	628.80 है0

(ग) प्रोजेक्ट का कुल मूल्य – 96,72,11,120.00 रू0

(घ) वन क्षेत्र में प्राजेक्ट लगाने का औचित्य–उपखनिज प्राकृतिक कारणों से वन क्षेत्र में बहने वाली सौग 1, 2, 3 एवं जाखन 1, 2 नदियों में एकत्रित है। अतः चुगान के लिए वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(च) वित्तीय एवं सामाजिक लाभ :–

- नदी के किनारे में स्थित आबादी की सुरक्षा।
- नदी तटों के कटान का नियन्त्रण।
- जल प्लावन आदि की समस्या का निराकरण।
- आस–पास के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार एवं जीविका के साधन उपलब्ध कराना।
- रॉयल्टी, अभिवहन शुल्क, जी0एस0टी0, आयकर आदि के मद में शासन की राजस्व में वृद्धि।

(छ) प्राजेक्ट से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या– प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 6 हजार व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है।

(ज) प्रोजेक्ट से सम्बन्धित रोजगार की सुविधा :–

- क्षेत्र में उपखनिज के चुगान में लगभग 7 हजार श्रमिकों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त उपखनिजों की आपूर्ति स्टोन क्रेशर एवं इससे सम्बन्धित अन्य विकास कार्यों के लिए किया जायेगा।
- प्रोजेक्ट की स्थिति :– देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज, लच्छीवाला रेंज एवं बड़कोट रेंज।
- प्रोजेक्ट की विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग आने वाली वन भूमि का क्षेत्र – थानों रेंज, लच्छीवाला रेंज एवं बड़कोट रेंज के अन्तर्गत सौंग 1, 2, 3 एवं जाखन 1, 2 नदियां, 628.80 हैं0 क्षेत्र के लिए अनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तावित है, जिसमें से वास्तवित चुगान केवल 50 प्रतिशत क्षेत्र में प्रस्तावित है। भूमि में नदी के बाहव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वन सम्पदा एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा के

- प्रश्नगत वन भूमि का विवरण – प्रस्तावित भूमि नदी तट क्षेत्र है।
- वन भूमि की वैधानिक स्थिति – आरक्षित वन क्षेत्र
- वन क्षेत्र की वनस्पति की स्थिति – भूमि वृक्ष विहीन है।
- (ट) प्रस्तावित उत्पादन – नदी तल से 1.5 मी0 गहराई तक उपखनिज का चुगान आसानी से किया जा सकता है। प्रस्तावित क्षेत्र में से 50 प्रतिशत क्षेत्र में उपखनिज का चुगान प्रस्तावित है और 1.5 मी0 गहराई तक चुगान करने से लगभग 16.93 लाख टन प्रति वर्ष उपखनिज उपलब्ध हो सकता है। अतः भविष्य में लगभग 16.93 लाख टन उपखनिज प्रतिवर्ष चुगान सम्भावित है।
- (ठ) खनन कार्य की पद्वति –नदी में यांत्रिक पद्धति से खनन कार्य नहीं होगा। केवल नदी की तलहटी से उपखनिज का चुगान मैनुअल तरीके से श्रमिकों के द्वारा किया जायेगा तथा चुगान कार्य प्रति वर्ष 01 अक्टूबर से 15 जून तक ही होगा।
- (ड) भूमि पुनः वनीकरण करने हेतु समयबद्ध योजना– प्रस्तवित भूमि नदी तट क्षेत्र हैं जो वृक्ष विहीन है। अतः प्रस्तावित भूमि पर पुनः वनीकरण कराने की आवश्यकता नही है। नदी के किनारे के रिक्त क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा आवश्यक्तानुसार वनीकरण किया जा सकता है।
- क्षेत्र का ढाल – संकेन्द्रित रहेगा जिससे उपखनिजों के चुगान से नदी जल बहाव के दोनों ओर स्थित आरक्षित वन भूमि नदी कटाव से सुरक्षित रहेगा।
- (त) खनन में प्रयुक्त होने वाले श्रमिकों की संख्या – क्षेत्र में कोई नियमित खनन प्रस्तावित नहीं है उपखनिज के चुगान/अन्य कार्यों में लगभग 07 हजार मजदूरों को रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है।
- (थ) वन विभाग की आवश्यकता – उपखनिजों की बिक्री से सरकार को करोड़ों रू0 के राजस्व की प्राप्ति होगी।
- (ए) खनन, देहरादून वन प्रभाग के सौंग 1 थानो रेंज, सौंग 2 थानो रेंज, सौंग 3 लच्छीवाला रेंज एवं जाखन 1 थानो रेंज, जाखन 2 बड़कोट रेंज में आने वाले 628.80 है0 क्षेत्र है। जिसका मानचित्र संलग्न है। भारत सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित चुगान क्षेत्र केवल 50 प्रतिशत भाग में ही होगा।
- (द) प्रस्तावित कार्य वन क्षेत्र के बाहर न कियें जाने के कारण – प्रस्तावित नदी क्षेत्र आरक्षित वन भूमि में स्थित है, तथा इसके अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प

- (ध) खनन कार्य से वृक्ष आदि को होने वाली अनुमानित क्षति – चूँकि प्रस्तावित क्षेत्र नदी तट व वृक्ष विहीन क्षेत्र है। अतः खनन कार्य से वृक्ष आदि को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है।
- (न) खनन क्षेत्र से स्थाई जल स्रोत, राज्य/राष्ट्रीय उद्यान एवं सैन्चुरी आदि की दूरी– चुगान हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के निकट कोई प्राकृति जल स्त्रोत स्थित नही है, तथा प्रस्तावित क्षेत्र से राजाजी राष्ट्रीय पार्क/टाईगर रिर्जव की दूरी निम्न प्रकार हैः–

प्रस्तावित क्षेत्र	राजाजी राष्ट्रीय पार्क/टाईगर रिर्जव की दूरी
सौंग 1, थानो रेंज	8.50
सौंग 2, थानो रेंज	5.00
सौंग 3, लच्छीवाला रेंज	0.20
जाखन 1, थानो रेंज	11.50
जाखन 2, बड़कोट रेंज	5.40

- (य) टाप सॉयल सुरक्षित रखने हेतु उपाय – प्रस्तावित क्षेत्र नदी तट क्षेत्र है। आस–पास के वन एवं कृषि भूमियों के टाप सॉयल के संरक्षण के लिये ही यह योजना प्रस्तावित है।
- (र) यदि भूमिगत खनन किया जाता है तो पानी, वन एवं अन्य वनस्पतियों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं भूमि धसने की आशांका– प्रस्तावित योजना में भूमिगत खनन कार्य नही किया जाना है। इसमें मात्र श्रमिकों के द्वारा 1.5 मी. गहराई तक मैनुअल चुगान किया जाना है। अतः पानी, वन एवं अन्य वनस्पतियों पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है।
- (ल) लागत एवं लाभ विश्लेषण– प्रश्नगत परियोजना में शासन की कोई लागत सम्मिलित नहीं है इसके विपरीत रॉयल्टी, वन विभाग का अभिवहन शुल्क, आयकर, एवं जी0एस0टी0 के माध्यम से शासन को लगभग 28.59 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।
- (व) पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है अथवा नहीं यदि हॉ तो उसे प्राप्त किया गया है अथवा नहीं –भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से सत्र 2021 तक के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। 2021 के उपरान्त के लिए पर्यावरण स्वीकृति आवेदित की जा रही है।

- (स) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रतिकूल कोई कार्यवाही की गयी अथवा नहीं यदि हॉ तो – नहीं
- (ह) अन्य कोई सूचना– नदी की तलहटी से लगातार उपखजिन एकत्रित होने के कारण नदी क बहाव में परिवर्तन, नदी किनारों का भू–क्षरण एवं नदी के किनारे स्थित आबादी को नुकसान की सम्भावना बनी रहती है और नदी की तलहटी मे एकत्रित उपखनिज की निकासी से नदी के जल बहाव के लिए अतिरिक्त स्थान मिलता है, जिससे नदी के दोनों तटों पर स्थित वन भूमि को कटान से बचाया जा सकेगा। क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की आपूर्ति प्रदेश के अतिरिक्त बाहर के प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जा सकता हैं, जिसमें राज्य सरकार को करोड़ों रूपयों का राजस्व प्राप्त होगा। हजारों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप

  से रोजगार मिलेगा और आस–पास के वन क्षत्रों का संरक्षण भी होगा। चुगान के कारण किसी भी प्रकार की वन सम्पदा या सार्वजनिक स्थानों को क्षति होने की सूचना नहीं है। लेकिन चुगान नहीं करने पर नदी बहाव क्षेत्र के परिवर्तन होने से आस–पास के वन क्षेत्रों में भू–कटाव से अत्यधिक हानि होने की सम्भावना है। अतः पर्यावरण हित/जनहित/ राजकीय हित में उपखनिज का चुगान किया जाना नितान्त आवश्यकता है।

(एस०के० यादव)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून